

**LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Monday, 09 April 2018 / 19 Chaitra 1940 (Saka)

No. 80

02.13 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.14 PM Ruling of the Chair:

In respect of notices received from various Members, the Chair stated that four Short Duration Discussions had already been listed for the day and he was not taking up any other matter than those listed in the List of Business. He also drew the attention of the Members towards Rule-291 and Rule-293 of the Rules of Procedure which provided that the decision of the Speaker in these matters was final and should not be questioned.

Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition, Shri Om Prakash Sharma & Shri Jagdish Pradhan came in the well of the House demanding to take up the issue of water supply immediately.

Some Members of Ruling Party also came in the well.

Exchange of arguments between the Members of Ruling Party and Opposition.

Uproar in the House.

Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition stood up near the chair of Hon'ble Speaker and started exchanging arguments. He also held the microphone installed in front of the Chair.

2.17 PM : The Chair named Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition for the day due to his indecorous behaviour. He was asked to withdraw from the House. As the Member refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.

2. 2.20 PM Special Mention(Rule-280) :

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Shri Ajay Dutt
2. Shri Surender Singh
3. Shri Naresh Yadav
4. Shri S.K. Bagga
5. Shri Rajesh Rishi (*Minister of Health intervened*)

2.49 PM : Hon'ble Speaker stated that the Department Related Standing Committee on Health should examine the proposal of the Health Minister for amendment of the Food Safety Act. Taking the sense of the House he announced that the Committee will take the opinion of the following Members also :

- i) Shri Madan Lal
- ii) Shri Adarsh Shastri
- iii) Shri Manjinder Singh Sirsa
- iv) Shri S.K. Bagga
- v) Shri Anil Kumar Bajpai
- vi) Ms. Alka Lamba
- vii) Shri Nitin Tyagi

Special Mention(Rule-280) continued :

6. Shri Pawan Kumar Sharma (*Minister of PWD intervened*)

3.03 PM : Hon'ble Speaker stated that the Department Related Standing Committee on Public Utilities examine the proposal of the Minister of PWD for the need of a comprehensive legislation to remove encroachments from Government roads. Taking the sense of the House, he announced that the Committee will take the opinion of the following Members also :

- i) Shri Madan Lal
- ii) Shri Saurabh Bharadwaj
- iii) Shri Naresh Yadav
- iv) Shri Jagdish Pradhan
- v) Shri Om Prakash Sharma

Special Mention(Rule-280) continued :

7. Shri Om Prakash Sharma

Hon'ble Speaker directed that the remaining matters of the following Members under Rule-280 be treated as read :

8. Shri Manjinder Singh Sirsa

9. Shri Girish Soni

10. Shri Ram Chander

11. Shri Som Dutt

3. 3.11 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**

I. **Shri Saurabh Bharadwaj** initiated discussion on 'Utilization of MLALAD fund in MCD Parks'.

The following Members participated in the Discussion :

1. Shri Vijender Garg

5. Shri Praveen Kumar

2. Shri Madan Lal

6. Shri Som Dutt

3. Ms. Bandana Kumari

7. Shri Ajay Dutt

4. Shri Om Prakash Sharma

8. Shri Jitender Singh Tomar

4. 4.14 PM **Extension of sitting of the House:**

The Chair announced that as desired by the Hon'ble Members and as agreed by the Government, the sitting of the Seventh Session of Sixth Delhi Legislative Assembly be extended till 10 April, 2018.

5. 4.14 PM The Chair directed that the Principal Secretary (Urban Development), Commissioners' (NDMC/SDMC/EDMC) and Chief Executive Officer, Delhi Jal Board be present in the Officers' Gallery on 10 April 2018 at 2.00 PM and 4.30 PM respectively when the matters concerning their departments are taken up in the House.

6. 4.15 PM **Resolution :**

Shri Madan Lal moved the following Resolution with the leave of the House :

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi, in its sitting held on 09 April 2018

In pursuance of the decisions taken by the General Purposes Committee of the Legislative Assembly in its meetings held on 17 November 2016 and 09 April 2018; and

Taking into consideration, various litigations in the courts of law that the Legislative Assembly is forced to enter into,

Hereby resolves:

that all the decisions regarding selection and terms and conditions including the fixing and payment of professional fee/remuneration for engagement of legal professionals and consultants to procure necessary services for the Legislative Assembly be taken by Hon'ble Speaker;

that the Hon'ble Speaker is free to adopt the procedure that he deems to be in the best interest of safeguarding the independence of the Legislature for arriving at such decisions in this regard;

that the Secretariat of the Legislative Assembly shall meet all the expenses to be incurred on this count from its budget with due approval from Hon'ble Speaker and Hon'ble Speaker alone; and

that any attempt in any quarter to do anything in violation of this resolve of the Legislative Assembly shall be treated as Contempt of the House and Breach of Privilege of the House and

all those responsible for any such contemptuous conduct shall be proceeded against as decided by Hon'ble Speaker and as per the Rules and Procedures of the House."

Shri Saurabh Bharadwaj and Shri Manjinder Singh Sirsa, Members also expressed their views.

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied.

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

7. 4.48 PM **The Chair adjourned the House for Tea-Break.**

8. 5.30 PM **House reassembled.**

Hon'ble Speaker in-Chair.

9. 5.30 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**

II. **Shri Manjinder Singh Sirsa** initiated discussion on 'Providing basic civic amenities like Flats, Water, Ration Card etc. to Jhuggi Jhopri dwellers'.

The following Members participated in the Discussion :

1. Shri Saurabh Bharadwaj

2. Shri Surender Singh

3. Shri Om Prakash Sharma

4. Shri Sahi Ram

Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Urban Development replied the discussion.

10. 6.11 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 10 April 2018.**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

सोमवार, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या-80

2.13 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 2.14 बजे

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :

विभिन्न सदस्यों से प्राप्त सूचनाओं के संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज चार अल्पकालिक चर्चायें पहले ही सूचीबद्ध हैं और वे कार्यसूची में सूचीबद्ध मामलों के अलावा किसी अन्य मामले को विचारार्थ नहीं लेंगे। उन्होंने सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम-291 तथा नियम-293 की तरफ दिलाया, जिनमें प्रावधान है कि इन मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उस पर आपत्ति नहीं की जाती।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान सदन के वैल में आ गये और जल आपूर्ति के विषय को तत्काल स्वीकार करने की मांग करने लगे।

सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी वैल में आ गये।

सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य तर्क-वितर्क हुआ।

सदन में शोर-शराबा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप खड़े हो गये तथा तर्क-वितर्क करने लगे।

उन्होंने अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने लगे माइक्रोफोन को भी पकड़ लिया।

2.17 बजे : अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनके अमर्यादित आचरण के कारण बैठक की शेष कार्यवाही के लिए निलम्बित कर दिया। उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया। चूंकि सदस्य ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अतः अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।

2. 2.20 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये:-

1. श्री अजय दत्त
2. श्री सुरेन्द्र सिंह
3. श्री नरेश यादव
4. श्री एस.के.बग्गा
5. श्री राजेश ऋषि *(माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)*

2.49 बजे : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्वास्थ्य पर विभाग से सम्बद्ध स्थाई समिति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री के प्रस्ताव की जांच करे। सदन की भावनाओं के दृष्टिगत, उन्होंने घोषणा की कि समिति निम्नलिखित सदस्यों के विचार भी प्राप्त करेगी :-

1. श्री मदन लाल
2. श्री आदर्श शास्त्री
3. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
4. श्री एस.के.बग्गा
5. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
6. सुश्री अलका लाम्बा
7. श्री नितिन त्यागी

विशेष उल्लेख (नियम-280) जारी :

6. श्री पवन कुमार शर्मा *(माननीय लोक निर्माण मंत्री ने हस्तक्षेप किया)*

3.03 बजे : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जनोपयोगी सुविधाओं पर विभाग से सम्बद्ध स्थाई समिति, सरकारी सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता के संबंध में लोक निर्माण विभाग मंत्री के प्रस्ताव की जांच करे।

सदन की भावनाओं के दृष्टिगत, उन्होंने घोषणा की कि समिति निम्नलिखित सदस्यों के विचार भी प्राप्त करेगी :-

1. श्री मदन लाल
2. श्री सौरभ भारद्वाज
3. श्री नरेश यादव
4. श्री जगदीश प्रधान
5. श्री ओमप्रकाश शर्मा

विशेष उल्लेख (नियम-280) जारी :

7. श्री ओमप्रकाश शर्मा

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के तहत उठाये जाने वाले मामलों को पढ़ा हुआ माना जाये:-

8. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
9. श्री गिरीश सोनी
10. श्री रामचन्द्र
11. श्री सोम दत्त

3. 3.11 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :**
i) श्री सौरभ भारद्वाज ने “विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के पार्कों में उपयोग” के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
1. श्री विजेन्द्र गर्ग
 2. श्री मदन लाल
 3. श्रीमती बंदना कुमारी
 4. श्री ओमप्रकाश शर्मा
 5. श्री प्रवीण कुमार
 6. श्री सोम दत्त
 7. श्री अजय दत्त
 8. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
4. 4.14 बजे **सदन की बैठक का विस्तार :**
अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप तथा सरकार की सहमति के बाद, छठी दिल्ली विधानसभा के सातवें सत्र की बैठक दिनांक 10 अप्रैल, 2018 तक बढ़ाई जाये।
5. 4.14 बजे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि प्रधान सचिव (शहरी विकास), आयुक्त (उ.दि.न.नि/द.दि.न.नि/पू.दि.न.नि) तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को क्रमशः अपराह्न 2.00 बजे तथा 4.30 बजे, जब सदन में उनके विभागों से संबंधित मामले विचारार्थ लिये जायें, तब अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें।
6. 4.15 बजे **संकल्प :**
श्री मदन लाल ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-
“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 की बैठक में :
विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2016 तथा 09 अप्रैल, 2018 की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में; और
न्यायालयों में चल रहे विभिन्न वादों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें कि विधानसभा को बाध्य होकर लिप्त होना पड़ रहा है, यह संकल्प करती है-
कि विधानसभा के लिए आवश्यक कानूनी सेवाओं को लेने के लिए कानूनी पेशेवरों व परामर्शदाताओं को अनुबधित करने के संबंध में पेशेवर शुल्क/पारिश्रमिक निर्धारण एवं भुगतान सहित चयन तथा नियम एवं शर्तों से संबंधित सभी निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए जाएंगे,
कि विधानसभा की स्वतंत्रता के परिरक्षण के सर्वोत्तम हित में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसी कोई भी प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे वे ठीक समझेंगे,
कि विधानसभा सचिवालय इस संबंध में होने वाले सभी खर्चों को माननीय अध्यक्ष और केवल माननीय अध्यक्ष ही की विधिवत स्वीकृति से अपने बजट से पूरा करेगा; और
कि इस संकल्प के उल्लंघन के, किसी भी ओर से किए गए किसी भी प्रयास को सदन की अवमानना तथा सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा तथा इस प्रकार के अवमाननापूर्ण किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी सभी के विरुद्ध सदन के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय करेंगे, वह कार्रवाई की जाएगी।”
श्री सौरभ भारद्वाज और श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया।
संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
7. 4.48 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए स्थगित की।
8. 5.30 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।
माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
9. 5.30 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :**
ii) श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने “झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधायें जैसे-फ्लैट, पानी, राशन कार्ड इत्यादि उपलब्ध करवाने” के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
1. श्री सौरभ भारद्वाज
 2. श्री सुरेन्द्र सिंह
 3. श्री ओमप्रकाश शर्मा
 4. श्री सही राम
- श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
10. 6.11 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।